

New Delhi, the 29th September, 1989

S.O. 2630.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply to the Catholic

Syrian Bank Ltd. upto 27th June, 1992 in respect of immovable property of one acre 81 cents held by it under survey No. 198/9 of Chembu village in Valikom Taluk, Kottayam District, Kerala State.

[No. 15/14/87-B. O. III]  
PRAN NATH, Under Secy.

### वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 1989

का.घा. 2631:—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रबल कक्षियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्यात निरीक्षण परिषद कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1989 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- निर्यात निरीक्षण परिषद कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1978 की अनुसूची के अन्तर्गत पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी। अर्थात्:

#### “अनुसूची”

[नियम 9 (2) के अन्तर्गत]

क्रम सं.	पदों का विवरण	निम्नलिखित प्राधिकारी	आस्तित्वां प्रतिरोधित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे आस्तित्वां सिद्ध बहू (नियम 8 में अब संख्या के प्रति निर्देश से) प्रतिरोधित कर सकेंगे।	अपील प्राधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	संयुक्त निदेशक के रैंक तक सभी पद	निदेशक	(1) निदेशक, (2) उपर निदेशक (3) संयुक्त निदेशक	संयुक्त निदेशक के रैंक तक सभी (1) से (4) तक उप निदेशक के रैंक तक सभी (1) से (4) तक	प्रधान निदेशक उपर निदेशक
2.	उपर निदेशक	प्रधान केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए	(1) प्रधान (2) निदेशक	सभी (1) से (4) तक	केन्द्रीय सरकार प्रधान
3.	निदेशक	केन्द्रीय सरकार	(1) केन्द्रीय सरकार (2) प्रधान	सभी (1) से (4) तक	केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सरकार

दृष्टिगत: मूल अधिसूचना का.घा. 42 द्वारा भारत के राजपत्र, तारीख 7 जनवरी, 1978 में प्रकाशित की गई थी और का.घा. 1442 तारीख 5 मई, 1979, का.घा. 1020 तारीख 19 अगस्त, 1980 और का.घा. 556 तारीख 6 फरवरी, 1982 द्वारा संशोधित की गई।

[सं. 3 (27)/89 ई.आई.एच.ई.पी.]

### MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 14th October, 1989

S.O. :—2631— In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export Inspection Council Employ (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978, namely:—

- (1) These rules may be called the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1989.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal Rules, 1978, for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

**SCHEDULE**  
[See rule 9(2)]

Sl. No.	Description of posts	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference Item numbers in rule 8)		Appellate Authority
			Authority	Penalties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. All posts upto the rank of Joint Director	Director		(i) Director	All	Chairman Director
			(ii) Additional Director	(b) to (iv) upto the rank of Joint Director	
			(iii) Joint Director	(i) to (iv) upto the rank of Deputy Director	Additional Director
2. Additional Director	Chairman subject to the approval of the Central Government.	(i) Chairman (ii) Director	All (a) to (iv)	Central Government Chairman	
3. Director	Central Government	(i) Central Government (ii) Chairman	All (i) to (iv)	Central Government Central Government	

NOTE : The Principal Notification was published by S.O. 42 in the Gazette of India dated 7th January, 1978 and amended by S.O. 1442 dated 5th May, 1979, S.O. 1020 dated 19th April, 1980 and S. O. 556 dated 6th February, 1982.

[No. 3(27)/89-EI & EP]

का.भा. 2632 :— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण अधिकरण कर्मचारी (बर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्यात निरीक्षण अधिकरण कर्मचारी (बर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) अधिनियम, 1989 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- निर्यात निरीक्षण अधिकरण कर्मचारी (बर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :

**अनुसूची**

[नियम 9 (2) देखिए]

क्रम सं.	पदों का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्तियां अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जिन्हें वह (नियम 8 में मरु संख्या के प्रति निर्देश से) अधिरोपित कर सकेगा।	अपील प्राधिकारी	
1	2	3	4	5	
1.	संयुक्त निदेशक के रैंक तक सभी पद	निदेशक	(1) निदेशक (2) अपर निदेशक (3) संयुक्त निदेशक	संयुक्त निदेशक के रैंक तक सभी (1) से (4) उपनिदेशक के रैंक तक (1) से (4)	अध्यक्ष निदेशक अपर निदेशक
2.	अपर निदेशक	अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए।	(1) अध्यक्ष (2) निदेशक	सभी (1) से (4)	केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष

टिप्पण : मूल अधिनियमों भारत के राजपत्र, तारीख 7 जनवरी, 1978 में का.भा. 43 द्वारा प्रकाशित की गयी थी तथा का.भा. 1443, 5 मार्च, 1979 का.भा. 2982, 1 सितम्बर, 1978, का.भा. 1019 तारीख 19 अप्रैल, 1980 तथा का.भा. 557 तारीख 6 फरवरी, 1982 द्वारा संशोधित की गयी।

[सं. 3 (27)/89-ई आई एच ई पी]

ए.के. चौधरी, निदेशक

S.O. 2632:—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1989.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978 for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :—

**SCHEDULE**

[See rule 9(2)]

Sl. No.	Description of posts	Appointing Authority	Authority Competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference item numbers in rule 8)		Appellate Authority
			Authority	Penalties	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. All posts upto the rank of Joint Director		Director	(i) Director	All	Chairman
			(ii) Additional Director	(i) to (iv) upto the rank of Joint Director	Director
			(iii) Joint Director	(i) to (iv) upto the rank of Deputy Director	Additional Director
2. Additional Director		Chairman subject to the approval of Central Government	(i) Chairman (ii) Director	All (i) to (iv)	Central Government Chairman

NOTE : Principal Notification was published by S.O. 43 in the Gazette of India dated 7th January, 1978 and amended by S.O. 1443 of 5th May, 1979, S.O. 2982 of 1st September, 1978, S.O. 1019 dated 19th April, 1980 and S.O. 557 dated 6th February, 1982.

[No. 3(27)89-EI & EP]

A. K. CHAUDHURI, Director.

मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात का कार्यालय

प्रादेश

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1989.

का.प्रा. 2633—मैसर्स स्पि कैपेज/एन.के.के./टोटयो कंसोर्टियम मार्फत ह्याट रीजेंसी होटल, भिकाजी कामा प्लेस रिंग रोड, नई दिल्ली-110066 को पूंजीगत माल के आयात के लिए रु. 3,88,700/ (22,790 अमरीकी डालर और 28,000 पाउंड) के मूल्य का एक ही सी पी सं. पी/जे/2097464 दिनांक 4-5-87 दिया गया था। फर्म ने सीमाशुल्क निकासी परमिट प्रति की प्रतिलिपि प्रति जारी करने के लिए प्रार्थना किया है क्योंकि मूल सीमा-शुल्क निकासी परमिट प्रति खो अथवा गम हो गई है। यह भी बताया गया है कि लाइसेंस एयर कार्गो (कस्टम हाउस) नई दिल्ली के पास पंजीकृत था और उसका पूर्ण उपयोग किया गया है। सीमाशुल्क निकासी परमिट की प्रतिलिपि प्रति पूंजीगत माल के पुनर्निर्गत प्रयोजन हेतु वांछनीय है।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंस-धारी ने शपथ अधिकारी दिल्ली के सामने विधिवत् शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार मैसर्स स्पि कैपेज/एन.के.के./टोटयो कंसोर्टियम मार्फत ह्याट रीजेंसी होटल, भिकाजी कामा प्लेस, रिंग रोड, नई दिल्ली-110066 को जारी किये गये सीमाशुल्क निकासी परमिट सं. पी/जे/2097464 दिनांक 4-5-87 को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

3 पार्टी को उक्त सीमाशुल्क निकासी परमिट की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति प्रलग से जारी की जा रही है।

[सं. सी.जी.-3/1941/6/86 87]

बी.प्रार. श्रीर, उप मुख्य नियंत्रक, (आयात निर्यात)

**OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS  
AND EXPORTS**

**ORDER**

New Delhi, the 18th September, 1989

S.O. 2633.—M/s. Spie Capage/NNK/Totoyo Consortium, C/o. Hyatt Regency Hotel, Bhikaji Cama Place, Ring Road, New Delhi-110066 were granted CCP No. P/J/2097464, dated 4-5-1987 for Rs. 8,38,700 (US\$ 22,790 & £ 28,000) for import of capital goods. The firm has applied for issue of duplicate copy of Custom Clearance Permit has been lost or misplaced. It has further been stated that the licence has been registered with Air Cargo (Custom House), New Delhi and utilised fully. The Duplicate copy of Custom Clearance Permit required is for re-export purpose of the Capital goods.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Oath Commissioner, Delhi. I am accordingly satisfied that the Original Custom Clearance Permit No. P/J/2097464, dated 4-5-1987 has been lost or misplaced by the firm. In Exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said Custom Clearance Permit No. P/J/2097464, dated 4-5-1987 issued to Spie-Capag/NNK/Totoyo Consortium C/o Hyatt Regency Hotel, Bhikaji Cama Place, Ring Road, New Delhi-110066 is hereby cancelled.